न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-343RAAJodhpur2024-192RTA225 Sahdevi ors Vs Ramkaran etc

01. सहदेव पुत्र अर्जुनराम जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
02. सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. रामकरण पुत्र भीखाराम जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
2. किरणा पुत्री सुखराम लोमरोड़ पत्नी श्रवणराम चौधरी जाति जाट, निवासी- नाडसर, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
3. गीता पत्नी भागीरथ जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
4. देवीकांत पुत्र नरेशसिंह, जाति जाट, निवासी- बेनण, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
5. बद्रीराम पुत्र धुलाराम जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
6. मंछाराम पुत्र भागीरथ, जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
7. मैना पुत्री अर्जुनराम पत्नी गणपतराम, निवासी- नाडसर, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
8. मोहितपाल सिंह पुत्र नरेशसिंह, जाति जाट, निवासी- बेनण, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
9. राधा पत्नी अर्जुनराम जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
10. राधा पत्नी धूलाराम जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
11. श्रवण लामरोड पुत्र सुखराम, जाति जाट, निवासी- नाडसर, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
12. संतोष पुत्र अर्जुनराम जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
13. स्वरुपराम पुत्र रामनारायण जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
14. सुशीला पुत्री भागीरथ पत्नी सुभाष निवासी- भोपालगढ, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

15. सीता पुत्री धूलाराम जाति जाट, पत्नी जगजीवनराम, निवासी- गोविंदपुरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 18 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2023 रामकरण बनाम किरणा इत्यादि

उपस्थित-
श्री शैतानराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री विकास शर्मा, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 16

नि र्ण य

दिनांक : 20 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2023 रामकरण बनाम किरणा इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 जुलाई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 25 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 735 रकबा 1.6007 हैक्टेयर ग्राम बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 737 में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जुलाई 2024 के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 737 में से कोई रास्ता मौके पर नहीं चल रहा है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर खसरा नं. 733, 733/, 733/1 एवं 782 की पश्चिम दिशा वाली माठ के पास से निकलता है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट नियमानुसार अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है तथा रास्ते के प्रकरण में नियमानुसार तहसीलदार व भू-अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे के कार्मिक द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक से मिलीभगती करके तैयार की गई है। अपीलांट के खेत खसरा नं. 737 की पूर्व दिशा वाली माठ की जमीन गहराई में आई हुई है तथा उबड़ खाबड़ भूमि है तथा वर्षा होने पर तीन चार माह तक तीन से चार फीट तक पानी भरा रहता है, जिसमें से कोई व्यक्ति वाहन उक्त भूमि में सें निकाल नहीं पाता है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार रास्ते की लंबाई व चौड़ाई बताई गई है, वह रास्ता उक्त भूमि में सें चल नहीं सकता है, क्योंकि मौके पर भूमि पत्थरीली एवं उबड़ खाबड़ भूमि है। प्रत्यर्थी रामकरण न्यायालय के आदेश की आड़ में अपीलांट की खसरा नं. 737 की भूमि में अन्य जगह से रास्ता का उपयोग व उपभोग करना रहेगा, जिससे अपीलांट को भारी आर्थिक हानि होगी। विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नं. 737 के सभी सहखातेदारों पर सम्मनों की सम्यक तामील नहीं करवायी गई है तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है तो अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जुलाई 2024 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या एक अपने आवागमन हेतु खसरा नं. 737 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे पिछले 12-13 वर्षो से आवागमन करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवायी जा चुकी है तथा अपीलाधीन आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट्स का कथन है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नं. 733, 733/, 733/1 एवं 782 की पश्चिम दिशा वाली माठ के सहारे-सहारे रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 22.05.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि भू-अभिलेख निरीक्षक रजलानी एवं पटवारी हल्का बारनी खुर्द द्वारा मौका निरीक्षण करते वक्त उक्त रास्ते के विकल्प का निरीक्षण नहीं किया गया तथा न ही उक्त विकल्प का मौका फर्द में उल्लेख किया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्ते की जांच किये बिना तथा उन पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश धारा 251-ए की मंशा के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है जो अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2023 रामकरण बनाम किरणा इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 जुलाई 2024 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की उभय पक्ष की उपस्थिति में जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निकटतम एवं लघुतम रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर